एक नज़र में

शव सिलिंडर में भरने के वीडियो को बताया भ्रामक

रीवा : पति को मारकर शव के टुकड़े सिलिंडर में भरने के कथित वीडियो को मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस ने भ्रामक बताया है। इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित इस वीडियो को झूठा बताते हुए पुलिस ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। संभागीय पुलिस अधिकारी राजीव पाठक ने कहा कि रीवा के नाम से इंटरनेट मीडिया में प्रसारित यह वीडियो झूठा है। अपुष्ट सामग्री इंटरनेट मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -नप्र

ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियां बंद करें : हाई कोर्ट

जबलपुर : हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सागर जिले की बंडा तहसील के ग्राम बामना में विकास कार्य और सरकारी योजनाएं बहाल कराने की मांग वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि पगरा बांध परियोजना के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को डूब क्षेत्र या आसपास की सरकारी भूमि पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। -नप्र

80 वर्षीय वृद्ध पर चार वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ का आरोप

नीमच : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से सेवानिवृत्त 80 वर्षीय वृद्ध पर चार वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बालिका के स्वजन की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर वृद्ध को आयु की अधिकता और कानूनी प्रविधान का उपयोग करते हुए अजाक थाना पुलिस ने सूचना पत्र देकर छोड़ा है। घटना शुक्रवार को नीमच कैंट थाना क्षेत्र के गांव में हुई। दंपती और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त तेज सिंह राठौर की किराना दुकान पर बालिका सामान लेने गई थी, तभी उसने बालिका से छेड़छाड़ की। -नप्र

ओंकारेश्वर में संत मंडल पहुंचा आदिगुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थल, जानकारी ली

निरीक्षण ● 108 फीट ऊंची प्रतिमा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

ओंकार पर्वत स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की जानकारी लेते संत। ● नवदुनिया

नवदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का जायजा लेने के लिए शनिवार को संतों ने प्रतिमा स्थल का दौरा किया। एमपीएसटीडीसी के डिप्टी डायरेक्टर दुर्गेश कुमार पाराशर ने तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी दी।

आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर सामने आई खबरों को देखते हुए ओंकारेश्वर संत मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिमा स्थल पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिमा और उसके पेडस्टल का निरीक्षण किया। साथ ही परियोजना अधिकारियों से निर्माण, सुरक्षा और तकनीकी परीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल में महामंडलेश्वर भोलादास महाराज, शामिल रहे। संतों ने प्रतिमा की संरचनात्मक मजबूती, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। एमपीएसटीडीसी के डिप्टी डायरेक्टर दुर्गेश कुमार पाराशर ने संतों को बताया कि जिन तकनीकी बिंदुओं को लेकर सवाल उठाए गए थे। उनका पूर्व में ही विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण और विस्तृत मूल्यांकन किया जा चुका है। सभी परीक्षणों के आधार पर प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है तथा इसमें किसी प्रकार की संरचनात्मक कमी या सुरक्षा संबंधी दोष नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिमा का निर्माण देश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एलएंडटी ने किया है। इसने विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू आफ यूनिटी का निर्माण भी किया है। इसी अनुभव के आधार पर आचार्य शंकर की प्रतिमा का निर्माण भी अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग मानकों और निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप किया गया है। पाराशर ने अनुसार, भूकंप के हिसाब से संवेदनशील निर्माण के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। क्षेत्र में औसतन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की संभावना के बावजूद प्रतिमा का परीक्षण 179 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के दबाव को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि आइआइटी दिल्ली और आइआइटी मद्रास के तकनीकी मानकों के अनुसार प्रतिमा लगभग 500 वर्षों तक सुरक्षित रहने में सक्षम है।

वंदे भारत में फटा दूध परोसा, शताब्दी में यात्रियों को दी एक्सपायर ब्रेड

खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में कार्न फ्लेक्स में फटा दूध। साथ में दूध का पैकेट दिखाते यात्री। सौजन्य : वीडियोग्रैब

नवदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में बेहतर खानपान और विश्वस्तरीय यात्रा सुविधा के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन लक्जरी ट्रेनों में महंगा किराया और कैटरिंग चार्ज लेने के बावजूद यात्रियों को निम्न गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। शनिवार को इसके दो मामले सामने आए, जब हजरत निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को फटा हुआ दूध परोसने की शिकायत मिली, तो वहीं नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में एक्सपायर डेट की ब्रेड परोस दी गई। यात्रियों का कहना है कि जब प्रीमियम किराया वसूला जा रहा है तो भोजन की गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (22470) में यह मामला उस समय सामने आया, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम एग्जीक्यूटिव क्लास (ई-2) कोच में निजामुद्दीन से झांसी की यात्रा कर रहे थे। नाश्ते के दौरान जैसे ही उन्होंने कार्न फ्लेक्स में दूध डाला, वह फट गया। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा किया। करीब चार मिनट के वीडियो में उन्होंने दूध को थर्ड क्वालिटी बताते हुए कहा कि यह पीने योग्य नहीं है और यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने रेल मंत्री से पूरे मामले की जांच कराने और केवल दूध ही नहीं, बल्कि ट्रेन में परोसे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शनिवार सुबह नई दिल्ली से रानी कमलापति स्टेशन (भोपाल) जा रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में भी खानपान व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। ट्रेन के सी-4 कोच में सफर कर रहे करीब 74 यात्रियों को नाश्ते में ऐसी ब्रेड परोस दी गई, जिसकी उपयोग अवधि 10 जुलाई को ही समाप्त हो चुकी थी। एक यात्री की नजर जब ब्रेड के पैकेट पर अंकित 'यूज बाइ' तारीख पर पड़ी तो अन्य यात्रियों ने भी अपने पैकेट जांचे। अधिकांश यात्री तब तक ब्रेड खा चुके थे। यात्रियों ने कैटरिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ यात्रियों ने उपभोक्ता आयोग के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में इससे पहले भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। यात्रियों ने भोजन में कीड़े मिलने, एक्सपायर खाद्य सामग्री परोसने, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद और साफ-सफाई में लापरवाही जैसी शिकायतें इंटरनेट मीडिया पर साझा की हैं।

चीतों को पिस्सू, टिक और बाहरी परजीवियों से बचाने को लगाई जा रही ब्रेवेक्टो दवा

● पूर्व में कुछ चीतों के गले में हुआ था संक्रमण, कुत्ते-बिल्ली आदि प्रजाति के जीवों के लिए उपयोगी है यह दवा

नवदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर : बारिश के सीजन में चीतों को पिस्सू और बाहरी परजीवियों के संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग इन दिनों कूनो के चीतों को ब्रेवेक्टो नाम की दवा लगाने का काम कर रहा है।

कूनो नेशनल पार्क के सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि इसके लिए उन चीतों का चयन किया गया है, जिन्हें यह दवा लगाना आवश्यक है। चयन के बाद उन चीतों को एक-एक से बेहोश करके डाक्टर और विशेषज्ञों की देखरेख में इस दवा का लेप लगाया जा रहा है। विगत वर्षों में कूनो नेशनल पार्क के कुछ चीतों के शरीर पर खास तौर पर गले में कालर आइडी वाले हिस्से में संक्रमण फैल गया था, संक्रमण बेहद खतरनाक हुआ, इससे कुछ चीतों की मौत भी हुई थी। चीता एक्सपर्ट और डाक्टरों की सलाह के बाद चीतों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए ब्रेवेक्टो नाम की दवा का घोल उनके शरीर पर लगाने का काम किया जा रहा है। यह दवा पिस्सू, टिक और बाहरी परजीवियों से कुत्ते-बिल्ली सहित अन्य जानवरों को बचाने के लिए कारगर मानी जाती है। बीते दिनों ग्वालियर के पनिहार से ट्रैंकुलाइज की गई चीता सीसीबी-3 को यह दवा लगाई जा चुकी है।

प्रसूता ने यात्री प्रतीक्षालय में दिया नवजात को जन्म

सतना रेलवे स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय में नवजात को जन्म देने के बाद प्रसूता व अन्य यात्री महिलाएं। ● वीडियोग्रैब

नवदुनिया प्रतिनिधि, सतना: शहर के रेलवे स्टेशन पर शनिवार तड़के हुई एक घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मानवता को शर्मशार किया। यहां यात्री प्रतीक्षालय में सुबह करीब 4:22 बजे अकेली महिला तेज प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद महिला यात्रियों ने जननी एक्सप्रेस और अन्य संबंधित सेवाओं को फोन किया लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। इस बीच महिला ने यात्री प्रतीक्षालय में ही शिशु को जन्म दे दिया। बताया गया कि महिला का नाम खुशबू है, वह भीख मांगकर जीवन यापन करती है।

आधार कार्ड जैसे पहचान साबित करने वाले दस्तावेज न होने के कारण लोग व रेलवे प्रशासन उसकी मदद करने से बचते रहे। करीब एक घंटे तक प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने टिकट काउंटर के सामने शिशु को जन्म दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग खड़े होकर देखते रहे। हालांकि महिला यात्रियों ने साहस दिखाते हुए उसकी मदद की और मां व नवजात की देखभाल की।

जिला न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई

कोल्ड स्टोरेज संचालक पर 2.25 करोड़ की दाल हड़पने का केस

नवदुनिया प्रतिनिधि. ग्वालियर : पुरानी छावनी स्थित महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ 2.25 करोड़ रुपये की दाल और काबुली चना हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश के बाद हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार चेतकपुरी विजयनगर निवासी जयराम डिगवानी दाल बाजार में भरत ट्रेडिंग कंपनी का संचालन करते हैं। शिकायत में उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में पुराने कारोबारी संबंधों और विश्वास के आधार पर उन्होंने महाकाल कोल्ड स्टोरेज में अपनी फर्म की 6565 बोरी मसूर, मलका, उड़द दाल और काबुली चना सुरक्षित रखवाया था। इस माल की कीमत करीब दो करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है। शिकायत के मुताबिक, जब वह स्टाक वापस लेने और अंतिम हिसाब करने के लिए कोल्ड स्टोरेज पहुंचे तो वहां संचालक महेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ मौजूद था। आरोप है कि जैसे ही उन्होंने माल की मूल रसीदें टेबल पर रखीं, आरोपियों ने रसीदें छीन लीं। विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उस समय पुलिस ने केवल मारपीट का मामला दर्ज किया, जबकि करोड़ों रुपये के माल के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कई जगह लगाई गुहार पर राहत नहीं मिली

पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि माल वापस लेने के लिए उन्होंने व्यापारिक संगठनों, सामाजिक स्तर पर पंचायतों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई। नवंबर 2025 में उन्होंने पुरानी छावनी थाने में दोबारा शिकायत दी और बाद में आइजी व एसपी की जनसुनवाई में भी पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद जयराम डिगवानी ने जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पुरानी छावनी थाना पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

14 जिलों में आटोमैटिक वेदर स्टेशन बंद, जबलपुर-भोपाल पर हैं निर्भर

मुकेश तिवारी ● नवदुनिया

● कटनी में आटोमैटिक मशीन पिछले तीन साल से खराब, नहीं मिल पा रही सटीक जानकारी

कटनी : कटनी सहित प्रदेश के 14 जिलों में लगे आटोमैटिक वेदर स्टेशन लगभग तीन साल से बंद हैं। कटनी में पिपरौध स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वेदर स्टेशन स्थापित किया गया था। जिसकी आटोमैटिक मशीन पिछले तीन साल से खराब पड़ी है। सुधार के लिए विभाग कई बार पत्राचार कर चुका है, लेकिन आज तक सुधार नहीं कराया गया। इसके चलते किसानों को समय पर सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है।

तापमान, वर्षा, हवा की दिशा, हवा की गति, भूमि का तापमान, नमी, प्रकाश अवधि आदि की सटीक जानकारी के लिए अब मौसम विज्ञानी जबलपुर और भोपाल पर आश्रित हैं। किसानों को समय पर जानकारी न मिलने से खेती में मदद नहीं मिल रही है।

बालाघाट, शहडोल, राजगढ़, शिवपुरी के साथ प्रदेश में जहां भी आटोमैटिक वेदर स्टेशन शुरू किए गए थे, लगभग सब बंद पड़े हैं।

कृषि मौसम सेवा के माध्यम से किसानों को पहले पांच दिन पूर्व ही मौसम के बदलाव का पूर्वानुमान मिल जाता था। वर्षा कब होगी, पाला या तुषार का खतरा, पश्चिम विक्षोभ बनेगा या द्रोणिका गुजरेगी, कब तक वर्षा नहीं आने वाली इन सबकी जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती थी।

जिससे किसान बीज बोने, दवा छिड़काव, सिंचाई, कटाई और मंडी में फसल ले जाने जैसी गतिविधियों की रणनीति तय करते थे, लेकिन इकाइयों के बंद होते ही किसान पूरी तरह भोपाल मुख्यालय पर निर्भर हो गए, जहां से समय पर सूचना मिलना मुश्किल हो गया है।

> प्रदेश के कई वेदर स्टेशनों की मशीनों में तकनीकी खराबी आई है, लेकिन किसानों को भोपाल से मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी किसानों को मौसम संबंधी जानकारी मिले, इसके लिए वेदर स्टेशनों को दुरुस्त कराने की योजना पर कार्य जारी है। जल्द इनको शुरू कराया जाएगा।
> – **अजित अंजन,** प्रभारी, आइएमडी भोपाल

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank | आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, अरेरा हिल्स, भोपाल, फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:-

ई नीलामी दिनांक : 04.08.2026 (ई-नीलामी का समय : प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 03.08.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे।
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा | प्राधिकृत अधिकारी : श्री योगेश कृष्ण सक्सेना | फोन नं. 0755-2550020/9425013866

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि
मेसर्स आपका स्टील इंडिया प्रा.लि. निदेशक 1.श्री रवि सिंह, 2. श्री दुगेश सरस्वत, 3. श्री अभिषेक राठी (भौतिक आधिपत्य) 1. बंधक संपत्ति लीज़ होल्डइंडस्ट्रीयल प्लाटनं.64, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया बगरोदा, जिला-भोपाल (म.प्र.)-462026 पर निर्मित, क्षेत्रफल : 930 वर्ग मीटर, सीमाऐं : पूर्व-प्लाटनं. 63, पश्चिम-प्लाटनं. 65, उत्तर-रोड, दक्षिण-प्लाटनं. 09	(₹) 43,00,000/- +	15-05-2024 / 05-08-2024 / ₹15732091.79 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. बैंक के वित्त से निर्मित संयंत्र और मशीनरी। संपत्ति मालिक : आपका स्टील इंड्यिा प्रा. लि. (नोट: संयुक्त रूप से बेची जाने वाली सभी संपत्ति और संयंत्र एवं मशीनरी तथा भूमि बकाया, पट्टा किराया आदि सहित अन्य शुल्क, यदि कोई हो, क्रेता द्वारा वहन किया जाऐगा एवं जीएसटी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा जो नीलामी मूल्य के अतिरिक्त है)) (भौतिक आधिपत्य) संपत्ति 1 एवं 2 संयूक्त रूप से बेची जावेंगी।	(₹) 28,80,000/- कुल (₹)71,80,000/- (₹) 7,18,000/-	
मेसर्स जय मॉ भवानी टेड्रर्स (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति लीज़ होल्ड /शॉप प्लाट नं. 298-जीबीएच, ग्रेन यार्ड , नवीन मंडी कैम्पस, करोंद, तहसील- हुज़ूर, जिला- भोपाल स्थित, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फिट, सीमाऐं : पूर्व-प्लाट नं. 287, पश्चिम- मंडी रोड, उत्तर- प्लाटनं. 297, दक्षिण- प्लाटनं. 299, संपत्ति मालिक : मेसर्स जय मॉ भावनी ट्रेर्ड्स के द्वारा प्रो. श्री महेश कुमार साहू पुत्र श्री कन्हैयालाल साहू	(₹) 18,80,000/- (₹) 1,88,000/-	10-04-2017 / 18-12-2018 / ₹ 2713635.00 +देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
(1) श्री विकास साहू पुत्र श्री भैयालाल साहू (2) श्री भैयालाल साहू पुत्र श्री लक्ष्मणचंद साहू (3) श्रीमतीमंजुला साहू पत्नी श्री भैयालाल साहू (सांकेतिक आधिपत्य) संपत्ति का वह समस्त भाग फ्लैट नं. 001, प्लाट नं. 345, भूतल, खसरा नं.12/1/3, 394, 12/2/2, 12/1/2 का भाग, वंश हाइट्स-1, त्रिलंगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, ग्राम बावड़िया कलां, वार्ड नं. 50, तह-हुज़ूर, जिला भोपाल।, **क्षेत्रफल:** 538 वर्ग फुट, **सीमाऐं :** पूर्व - अन्य संपत्ति, पश्चिम - फ्लैट नं. 002, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - रोड, **संपत्ति मालिक :** श्री विकास साहू पुत्र श्री भैयालाल साहू।	(₹) 25,66,000/- (₹) 2,56,600/-	01-07-2025 / 04-09-2025 / (₹) 3193331.44 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा.लि. 1. श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी 2. श्रीमती ज्योति सोमवंशी पत्नि श्री मनोज सिंह सोमवंशी (निदेशक वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं जमानतदार) 1. फ्लैट नं. एस-01, द्वितीय तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र) **क्षेत्रफल** 95.55 वर्ग मीटर। **सीमाऐं** : पूर्व-रोड, पश्चिम- फ्लैट नं. एस-02, उत्तर- प्लाट नं. 21, दक्षिण-प्लाट नं.19 । **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)		17-07-2020 / 21-12-2020 / ₹ 15364479.66 + देय ब्याज एवं अन्य खच मॉग पत्र अनुसार
2. फ्लैट नं. एस-02, द्वितीय तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 108.92 वर्ग मीटर। **सीमाऐं** : पूर्व- फ्लैट नं. एस-01, पश्चिम- रोड, उत्तर- आम मार्ग एवं सीढ़ी, दक्षिण-प्लाट नं. 19। **संपत्ति मालिक** - श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)		
3. फ्लैट नं. एफएस-01, प्रथम तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र) **क्षेत्रफल** 95.55 वर्ग मीटर। **सीमाऐं** : पूर्व-रोड, पश्चिम- फ्लैट नं. एफएस-02, उत्तर- प्लाट नं. 21, दक्षिण-प्लाट नं.19 । **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)		
4. फ्लैट नं. एफएस-02, प्रथम तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 108.92 वर्ग मीटर। **सीमाऐं** : पूर्व- फ्लैट नं. एफएस-01, पश्चिम- रोड, उत्तर- आम मार्ग एवं सीढ़ी, दक्षिण-प्लाट नं.19। **संपत्ति मालिक** - श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 1,53,64,479.66 (₹) 15,36,447.97	
5. ऑफिस नं. -01, मेझानाइन तल, बीबीसी काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 20, जोन-2, एम.पी. नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र), **क्षेत्रफल** 130 वर्ग फीट। **सीमाऐं** : पूर्व-खूली भूमि, पश्चिम-विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण-अन्य भूमि। **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी एवं श्रीमति ज्योती सोमवंशी पत्नी श्री मनोज सिंह सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)		मेसर्स वीबीडी स्ट्रक्चर प्रा.लि. की सभी संपत्ति संयुक्त रूप से बेची जावेंगी।
6. प्लाट नं. -20, मेझानाइन तल(1985 वर्ग फीट), भूतल खूला (70 वर्ग फीट), बीबीसी काम्प्लेक्स, जोन-2, एम.पी.नगर, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल (म.प्र)। **सीमाऐं मेझानाइन तल :** पूर्व-ऑफिस चेम्बर एवं रोड, पश्चिम-रोड , उत्तर- प्लाट नं. 21, दक्षिण-प्लाट नं. 19 । **सीमाएं भूतल :** पूर्व-शॉप नं. एच, पश्चिम-शॉप नं.डी, उत्तर-आम सीढ़ी, दक्षिण-शॉप नं. सी । **संपत्ति मालिक** - श्री मनोज सिंह सोमवंशी पुत्र श्री संत प्रसाद सोमवंशी (भौतिक आधिपत्य)		
मेसर्स लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज़ (सांकेतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति फ्री होल्ड प्लाट बेरिंग खसरा नं. 91/2/1/1, पह नं.5, निशातपुरा, बैरसिया रोड, रेलवे क्रोसिंग के पास, तहसील-हुज़ूर, जिला-भोपाल, क्षेत्रफल : 13050 वर्गफिट , सीमाएं- पूर्व : बैरसिया रोड, पश्चिम: अन्य भूमि/खुला , उत्तर: रेलवे भूमि/लाईन, दक्षिण: भगवान दास एवं अन्य का प्लाट। संपत्ति मालिक : श्रीमति कांता देवी गिरधानी पत्नि स्व. श्री संजुमल गिरधानी	(₹) 1,37,62,000/- (₹) 13,76,200/-	11-09-2018 / 11-02-2019 / ₹18134825.55 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स एल.एल.प्रजापति एडं सन्स प्रोप. श्री सुरेश प्रजापति (सांकेतिक आधिपत्य) 1. गैर कृषि भूमि, ग्राम-गेहूंखेड़ा, प.ह.नं. 38, खसरा नं. 427 (पुराना खसरा नं. 47/4), राजस्व निरिक्षण मण्डल, 04, विकास खण्ड फंदा, तहसील-हुज़ूर, भोपाल-462042, क्षेत्रफल 0.34 एकड़ (16000 वर्गफिट), सीमाएँ :- पूर्व : खसरा नं. 426, पश्चिम : रोड़ एवं राजहर्ष सोसायटी, उत्तर : रोड़ एवं राजहर्ष सोसायटी, दक्षिण : खसरा नं. 424 पुराना नं. 47/3/2, **सम्पत्ति मालिक** :- श्री दिलीप प्रजापति। अचल सम्पत्ति के मूल कागजात सी.बी.आई. (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भोपाल में जमा है	(₹) 1,09,90,000/- (₹) 10,99,000/-	07-07-2015 / 21-10-2015 एवं 23-10-2015 / 37073563.00 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
श्री मकबूल खान (सांकेतिक आधिपत्य) आवासीय फ्लैट नं. एस-2, द्वितीय तल मल्टीस्टोरी बिल्डिंग नीरजंन परिसर-बी, निर्मित प्लाट नं. 212, खसरा नं. 13,18,16, 904/16/2, 8/2 का भाग, भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्थान, ग्राम -खजूरी कलां, पटवारी हल्का नं. 31/1, वार्ड नं.61, विकास खण्ड फंदा, तहसील -हुज़ूर, जिला- भोपाल, क्षेत्रफल : 650 वर्ग हफट (60.40 वर्ग मीटर), सीमाऐं : पूर्व- खूला भाग, पश्चिम-फ्लैट नं. एस-1, उत्तर-खुला भाग, दक्षिण-जीना व प्लाट नं.211	(₹) 15,80,000/- (₹) 1,58,000/-	14-09-2018 / 25-11-2022 / ₹2281053.25 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स मॉ गायत्री इंजीनियरिंग प्रो. श्री संदीप पाटीदार (भौतिक आधिपत्य) 63, पचमढ़ी विहार कॉलोनी पचमढ़ी रोड, बीजनवाड़ा, तहसील- पिपरिया, जिला-होशंगाबाद-451775, कामर्शियल डाइवर्टड भूमि जिस पर कामर्शियल बिल्डिंग बिल्टअप एरिया (35 +14)/2* = 1960 वर्ग फिट (182.19 वर्ग मीटर) सीमाऐं : पूर्व-विक्रेता की शेष भूमि , पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर- विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण-रोडएवं नाली , सपंत्ति का मालिक : श्री संदीप पाटीदार पुत्र श्री मुरारीलाल पाटीदार	(₹) 28,92,000/- (₹) 2,89,200/-	01-06-2024 / 12-08-2024 / ₹3103736.00 + दिनांक 01.06.2024 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर : 1. श्री देवेन कुमार जैन पुत्र श्री विपिन कुमार जैन एवं 2.श्रीमती मोनिका जैन पत्नि श्री देवेन कुमार जैन (भौतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति का समस्त भू-भाग इंडस्ट्रीयल शेड व बिल्डिंग प्लॉट नं. डी-27-ए, सेक्टर फेस-II, इंडस्ट्रीयल एरिया, ग्राम-मंडीदीप, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन स्थित, कुल क्षेत्रफल : 5025 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूर्व-प्लॉट नं. बी-4, पश्चिम- प्लॉट नं. डी-27-बी , उत्तर-खुली भूमी, दक्षिण- रोड, संपत्ति मालिक : मेसर्स मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर (नोट : भूमि बकाया, पट्टा किराया आदि सहित अन्य शुल्क, यदि कोई हो, एवं जीएसटी नियमानुसार क्रेता द्वारा वहन किया जाऐगा)	(₹) 2,29,07,000/- (₹) 22,90,700/-	08-08-2022 / 30-01-2023 / ₹ 34439363.92 + दिनांक 01.08.2022 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स सार्थक इंटरप्राईजेस (भौतिक आधिपत्य) 1. गैर कृषि भूमि, ग्राम-पिपलिया लोरका, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन स्थित, क्षेत्रफल 1.00 एकड़, खसरा नं. 169/2/1 का भाग, सीमाएँ :- पूर्व: शासकीय रोड़, पश्चिम : श्री अनिल की भूमि, उत्तर : श्री अभिजीत सिंह की भूमि, दक्षिण : श्री सतीश अहेलिया की भूमि, सम्पत्ति मालिक : श्रीमति आशा जैन पत्नि श्री सोहनलाल कोठारी। । अचल सम्पत्ति के मूल कागजात सी.बी.आई. (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भोपाल में जमा है	(₹) 65,28,000/- (₹) 6,52,800/-	28-07-2015 / 26-10-2015 / (₹) 28376390.00 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. गैर कृषि भूमि, ग्राम-पिपलिया लोरका, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन स्थित, क्षेत्रफल 1.00 एकड़, खसरा नं. 169/1/1 का भाग, सीमाएँ :- पूर्व: शासकीय रोड़, पश्चिम : श्री अनिल की भूमि, उत्तर : श्री नरेन्द्र प्रजापति की भूमि, दक्षिण : श्री अभिजीत सिंह की भूमि, सम्पत्ति मालिक : श्री सोहनलाल कोठारी। (भौतिक आधिपत्य) अचल सम्पत्ति के मूल कागजात सी.बी.आई. (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भोपाल में जमा है	(₹) 67,05,000/- (₹) 6,70,500/-	
मेसर्स जयश्री कृष्णा राईस मिल प्रो. श्री अशोक यादव (भौतिक आधिपत्य) 1. भूमि एवं शेड, खसरा नं. 165/1/1/4, ग्राम खिल्लीखेड़ा, वार्ड नं. 3, पह नं. 25/8, नगर पंचायत- अब्दुल्लागंज, आर.एन.एम.नं. 02, क्षेत्रफल 1.416 हेक्टेयर। सीमाऐं : पूर्व-रोड, पश्चिम-रोड, उत्तर-रोड, दक्षिण- मालिक की भूमी (1.5 एकड़)	(₹) 3,25,10,000/- (₹) 32,51,000/-	16-04-2018 / 10-08-2023 / ₹114267617.20 +देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. भूमि खसरा नं. 165/1/1/3, ग्राम खिल्लीखेड़ा, वार्ड नं. 3, पह नं. 25/8, नगर पंचायत- अब्दुल्लागंज, आर.एन.एम.नं. 02, तहसील गौहर गंज, जिला-रायसेन , क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर। सीमाऐं : पूर्व-रोड, पश्चिम-रोड, उत्तर-मालिक की भूमी (3.50 एकड़), दक्षिण- मालिक की भूमी (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 1,20,50,000/- (₹) 12,05,000/-	
मेसर्स रेवा सुपर मार्केट (सांकेतिक आधिपत्य) बंधक संपत्ति डायवर्टड भूमि खसरा नं. 239/2/1, प.ह.न. 21, वार्ड नं. 15, नसरूल्लागंज, तहसील-नसरूल्लागंज, जिला- सीहोर , क्षेत्रफल : 0.105 हेक्टेयर भूमि (11400 वर्ग फिट या 0.26 एकड़), सीमाऐं : पूर्व: रोड, पश्चिम-विक्रेता शेष भूमि, उत्तर-रोड, दक्षिण-रोड, संपत्ति मालिक : श्रीमती तेजकुंवर चावड़ा पत्नि श्री सावल सिंह चावड़ा, श्री इंद्रजीत सिंह चावड़ा पुत्र श्रीसावल सिंह चावड़ा, श्री सतेन्द्र सिंह चावड़ा पुत्र श्री सावल सिंह चावड़ा एवं श्री जितेन्द्र सिंह चावड़ा पुत्र सावल सिंह चावड़ा	(₹) 61,01,000/- (₹) 6,10,100/-	03-11-2018 / 15-01-2019 / ₹3556473.67 + दिनांक 01.10.2018 देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स टी. के. वेयरहाउस प्रो. नईम खान (भौतिक आधिपत्य) डायवर्टड कामर्शियल भूमी खसरा नं. 74/1, **क्षेत्रफल** 1.50 एकड़ एवं निर्मित ग्राम-खमरिया निम्वार, पह नं. 26, सुल्तानपुर, औब्दुल्लागंज, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन, सीमाऐं : पूर्व- नईम खान की भूमी, पश्चिम-कच्चा रोड, उत्तर-नासिर खान की भूमी, दक्षिण- जाकिर खान की भूमी, **संपत्ति मालिक** : श्री नईम खान पुत्र श्री ताहिर खान	(₹) 1,57,70,000/- (₹) 15,77,000/-	02-05-2022 / 16-07-2022 / 9420053.88 + देय ब्याज एवं अन्य खच मॉग पत्र अनुसार
मेसर्स इको ऑयल एण्ड ग्रीन एनर्जी प्रा.लि. (भौतिक आधिपत्य) इंडस्ट्रीयल शेड प्लॉट नं.03, इंडस्ट्रीयल एरिया , ग्राम अब्दुलपुर (पचामा), जिला सीहोर स्थित। क्षेत्रफल-19602 वर्ग फिट, सीमाऐं :- पूर्व-इंडस्ट्रीयल एरिया रोड, पश्चिम-शासकीय खुली भूमी, उत्तर-शासकीय खुली भूमी, दक्षिण-प्लॉट नं. 2ब, संपत्ति मालिक : मेसर्स इको ऑयल एण्ड ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. (नोट : भूमि बकाया, पट्टा किराया आदि सहित अन्य शुल्क, यदि कोई हो, एवं जीएसटी नियमानुसार क्रेता द्वारा वहन किया जाऐगा)	(₹) 33,87,000/- (₹) 3,38,700/-	11-04-2017 / 18-08-2017 / ₹31774795.00 + दिनांक 31.03.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
मेसर्स संदीप खरे एण्ड एसोसिएट्स (भौतिक आधिपत्य) 1. तृतीय तल 2, (टीएफ-2), नर्मदा ब्लॉक-6, इंडस रियलटी, प्लॉट नं. 10, डी-सेक्टर, इंडस्ट्रीयल एरिया, वार्ड नं. 13, मंडीदीप, जिला-रायसेन, क्षेत्रफल-600 वर्गफिट, । सीमाएँ :- उत्तर :नर्मदा ब्लॉक -5, तृतीय तल 05, दक्षिण :कॉरिडोर, पूर्व : नर्मदा ब्लॉक नं. 6, तृतिय तल 03, पश्चिम :नर्मदा ब्लॉक नं. 6, तृतिय तल 01, सम्पत्ति मालिक: श्री संदीप खारे	(₹) 6,86,000/- (₹) 68,600/-	06-07-2017 / 18-09-2017 / ₹ 19742225.75 + दिनांक 30.06.2017 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
2. तृतीय तल नं. 5, (टीएफ-5), नर्मदा ब्लॉक नं. 4, इंडस रियलटी, प्लॉट नं. 10, डी सेक्टर, वार्ड नं. 13, इंडस्ट्रीयल एरिया, मंडीदीप, जिला रायसेन, क्षेत्रफल-600 वर्गफिट, । सीमाएँ :- उत्तर :कॉरिडोर, दक्षिण :नर्मदा ब्लॉक 5, तृतीय तल-2, पूर्व : नर्मदा ब्लॉक नं. 4, तृतीय तल-4, पश्चिम :नर्मदा ब्लॉक नं. 4, तृतीय तल-6, सम्पत्ति मालिक: श्री संदीप खारे। (भौतिक आधिपत्य)	(₹) 6,86,000/- (₹) 68,600/-	

नियम एवं शर्तें :- 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तो के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है'' के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण प्रतिभूत लेनदार को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्रतिभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई-निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा **दिनांक 04/08/2026 वेबसाइट https://baanknet.com** पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **PSB Alliance** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

दिनांक: 10/07/2026, स्थान: भोपाल

सुरक्षित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक